कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001
email-jdanic-jod-rj@nic.in osc&lkbZV jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक/बैठक/2021/889

दिनांक :: 15 दिसम्बर, 2021

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री कमर चौधरी, आई.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 को सांय 4.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित सदस्य/अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 16 नवम्बर 2021 मे लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

गत बैठक दिनांक 16 नवम्बर 2021 का कार्यकारी समिति विवरण जारी किया जाकर सभी को प्रेषित किया जा चुका है। अतः कार्यकारी समिति की गत बैठक 16 नवम्बर 2021 का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत बैठक दिनांक 16 नवम्बर, 2021 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करते हुए जारी कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: जलदाय विभाग को उच्च जलाशय हेतु ग्राम चौखा खसरा नं. 827/650 में 725 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	जलदाय विभाग को उच्च जलाशय हेतु ग्राम चौखा खसरा नं. 827/650 में 725 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।

अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग नगर खण्ड तृतीय (उ. वि. एवं राजस्व) जोधपुर द्वारा प्रपत्र स व परिशिष्ट–1 प्रस्तुत कर आर. के. पुरम प्राधिकरण की योजना के पास उच्च जलाशय का निर्माण हेतु 25मी×25मी, 10मी×10मी पम्प रूम हेतु भूमि की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि खसरा संख्या 827/650 ग्राम चौखा की भूमि प्राधिकरण के नाम दर्ज है।

कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट अनुसार ओवर हेड टैंक एवं पम्प रूम का 90 प्रतिशत मौके पर निर्माण कार्य हो चुका है।

आयोजना शाख की रिपोर्ट अनुसार सरकारी व पब्लिक यूटिलीटीज को अनुज्ञेय है। प्राधिकरण की वेबसाईट पर उजर एतराज हेतु अपलोड किया जा चुका है।

पीएचईडी विभाग को उच्च जलाशय हेतु 25मी×25मी व पम्प रूम हेतु 10मी×10मी भूमि राज्य सरकार के पत्र दिनांक 05.07.2021 के द्वारा आवंटन नीति 2015 के बिन्दु संख्या 9.3 में राजकीय विभागो को निर्धारित सीमा तक निशुल्क भूमि का आवंटन स्थानीय स्तर पर किये जाने की शक्तियां दी गई है।

पीएचईडी को उच्च जलाशय हेतु भूमि निशुल्क अथवा सशुल्क आवंटन किये जाने वास्ते प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में वास्ते निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि आवंटन नीति – 2015 के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग, राजस्थान के आदेश कमांक न03 (55) नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 5 जुलाई, 2021 द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व अन्य राजकीय विभागों को उनके कार्यालय, इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु 1000 वर्ग मीटर तक निःशुल्क भूमि का आवंटन स्थानीय स्तर पर किये जाने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोजो की ढाणी मोकलावास खसरा नं. 63 में स्कूल एवं खेल मैदान की भूमि आवंटन हेतु।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोजो की ढाणी मोकलावास खसरा नं. 63 में स्कूल एवं खेल मैदान की भूमि आवंटन हेतु नियमानुसार आवंटन करने की अभिशंषा की गई है।

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, प्रारंभिक शिक्षा जोधपुर द्वारा नवीन आवंटन नीति 2015 के तहत राजकीय प्राथमिक विद्यालय प्रयोजनार्थ आवंटन करने बाबत् प्रपत्र–स, परिशिष्ट–1 प्रस्तुत किया।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि खसरा नं. 63 जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज है।

विधी शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद लंबित नही है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा नं. 63 का भू–उपयोग एमडीपी–2031 के अनुसार Rural Aera में आरक्षित है। उक्त भूमि पर कोई मास्टर प्लान की सडक नही निकल रही है। एमडीपी–2031 की डीसीआर रूरल एरिया के अनुसार 18 मीटर व अधिक मार्गाधिकार पर प्राइमरी स्कूल, मिडल स्कूल अनुज्ञेय है।

प्राधिकरण की वेबसाईट पर आपत्ति हेतु अपलोड करवाया गया था जिसके संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.3 (55)नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय हेतु सम्भागीय मुख्यालय पर 4000 वर्गमीटर तक तथा अन्य स्थानो पर 6000 वर्गमीटर तक प्राधिकरण स्तर से निशुल्क आवंटन किया जाने के आदेश है।

अतः राजकीय प्राथमिक विद्यालय (खोजो की ढाणी) हेतु 4000 वर्गमीटर (सम्भागीय मुख्यालय) हेतु भूमि निःशुल्क आवंटन किये जाने वास्ते प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति बैठक में निर्णयार्थ उचित आदेशार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि आवंटन नीति – 2015 के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग, राजस्थान के आदेश कमांक न03 (55) नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 5 जुलाई, 2021 द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय को संभागीय मुख्यालय पर 2000 वर्ग मीटर तक निःशुल्क भूमि का आवंटन स्थानीय स्तर पर किये जाने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार 2000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 04 :: पुलिस थाना राजीव गांधी नगर हेतु खसरा नं. 812 ग्राम केरू रकबा 5 बीघा भूमि के एवज में अन्यत्र स्थान (ग्राम बडली खसरा नं. 05) में आवंटन करने बाबत्।

क. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	पुलिस थाना राजीव गांधी नगर हेतु खसरा नं. 812 ग्राम केरू रकबा 5 बीघा भूमि के एवज में अन्यत्र स्थान (ग्राम बडली खसरा नं. 05) में आवंटन करने बाबत्।

आवंटन नीति–2015 के प्रावधानो के अनुरूप प्रपत्र–स मय चैक लिस्ट मे आवेदन पेश कर जोधपुर में ग्राम बडली मे खसरा संख्या 05 किस्म गै. मु. छितर पुलिस थाना प्रयोजनार्थ हेतु भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 05 ग्राम बडली किस्म गै. मु. छितर जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 05 भूमि की कोई पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नही है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार MDP-2031 According to the DCR Factival city/Tourist facilities in government/Public utilities are allowed on all roads after approval from comptent authority.

विधी शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 05 ग्राम बडली के संबंधित वाद लंबित है।

आपत्ति/अनापत्ति हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर ऑनलाईन अपलोड करवा दिया गया जिसके संबंधित कोई उजर एतराज/आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

राज्य सरकार के पत्र कमांक प.1(25)नविवि/जोधपुर/2015 दिनांक 01.05.2018 को स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी पालना में दिनांक 09.06.2019 को पट्टा विलेख जारी किया गया उसके एवज में अन्यत्र स्थान पर भूमि ग्राम बडली खसरा नं. 05 में 4000 वर्गमीटर आवंटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि आवंटन नीति – 2015 के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग, राजस्थान के आदेश कमांक न03 (55) नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 5 जुलाई, 2021 द्वारा पुलिस थाना को 2000 वर्ग मीटर तक निःशुल्क भूमि का आवंटन स्थानीय स्तर पर किये जाने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार पुलिस थाना राजीव गांधी नगर को पूर्व में आवंटित खसरा संख्या 812 ग्राम कैरू रकबा 5 बीघा का आवंटन/लीज डीड निरस्त करते हुए इस भूमि के एवज में ग्राम बडली खसरा संख्या 5 में 2000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 05 :: पशु चिकित्सालय एवं उपकेंद्र हेतु ग्राम नारनाडी में भूमि आवंटन बाबत्।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	पशु चिकित्सालय एवं उपकेंद्र हेतु ग्राम नारनाडी में भूमि आवंटन के संबंध में नियमानुसार भूमि आवंटन करने की अभिशंषा की गई है।

उपनिदेशक पशुधन विकास कार्यालय पशुपालन विभाग जोधपुर द्वारा नवीन आवंटन नीति 2015 के तहत ग्राम नारनाडी में पशु चिकित्सा हेतु आवंटन करने बाबत् प्रपत्र–स, परिशिष्ट–1 प्रस्तुत किया।

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 20.02.2020 के प्रस्ताव सं. 30 में निर्णयानुसार ग्राम नारनाडी के खसरा नं. 314 में पशु चिकित्सालय एवं उपकेंद्र हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि कीमतन आवंटन करने का निर्णय लिया गया था।

उप निदेशक पशुधन विकास, कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग को उक्त भूमि की राशि जमा कराने हेतु पत्र कमांक 152–153 दिनांक 31.07.2020 को रूपये कुल 20,90,880/– रू का जमा कराने का पत्र जारी किया जा चुका है। राशि जमा नही कराई गई

नगरीय विकास विभाग आदेश पत्र कमांक प.3(55)नविवि/3/2002 दिनांक 30.06.2021 आवंटन नीति 2015 संशोधन किया गया उसके अनुसार राजकीय विभागो को भूमि निःशुल्क आवंटन स्थानीय स्तर पर की जा सकेगी।

नगरीय विकास विभाग जयपुर के पत्र कमांक प.3(55)नविवि/3/2002 पार्ट 2 जयपुर दिनांक 05.06.2021 के द्वारा राजकीय विभागो को निर्धारित सीमा तक निशुल्क भूमि आवंटन स्थानीय स्तर पर किये जाने की शक्तिया प्रत्यायोजित की गई है।

पशु चिकित्सा एवं उपकेंद्र हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि निशुल्क आवंटन किया जाने वास्ते प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि आवंटन नीति – 2015 के अन्तर्गत नगरीय विकास विभाग, राजस्थान के आदेश कमांक न03 (55) नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 5 जुलाई, 2021 द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व अन्य राजकीय विभागों को उनके कार्यालय, इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु 1000 वर्ग मीटर तक निःशुल्क भूमि का आवंटन स्थानीय स्तर पर किये जाने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार 1000 वर्ग मीटर भूमि पशु चिकित्सालय एवं उपकेन्द्र, नारनाडी हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 06 :: मदरसा जामिया अबूबकर सिद्दीक संस्थान ग्राम मोकलावास खसरा संख्या 250 में भूमि आवंटन के संबंध में।

क. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	मदरसा जामिया अबूबकर सिद्दीक संस्थान ग्राम मोकलावास खसरा संख्या 250 में भूमि आवंटन के संबंध में नियमानुसार आवंटन करने की अभिशंषा की गई है।

मदरसा जामिया अबूबकर सिद्दीक संस्थान द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र–अ व परिशिष्ट–1 प्रस्तुत कर खसरा संख्या 250 ग्राम मोकलावास में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ 34 बीघा 06 बिस्वा भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार खसरा सं. 250 ग्राम मोकलावास में कमरे व 2 हॉल इत्यादि का निर्माण किया हुआ है।

विधी शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद लंबित नही है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार 18 मीटर व अधिक रोड पर शैक्षणिक अनुज्ञेय बताया है।

प्राधिकरण की वेबसाईट पर आपत्ति हेतु अपलोड करवाया गया था जिसके संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.3 (55)नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालय हेतु सम्भागीय मुख्यालय पर 4000 वर्गमीटर तक तथा अन्य स्थानो पर 6000 वर्गमीटर तक प्राधिकरण स्तर से राजकीय विभागो को निशुल्क आवंटन किया जा सकता है।

मदरसा जामिया अबूबकर सिद्दीक के सचिव द्वारा माध्यमिक विद्यालय एवं प्रस्तावित बालिका विद्यालय, इंग्लिश मीडियम विद्यालय, बालक–बालिकाओ हेतु छात्रावास, सामुहिक खेल मैदान हेतु 34 बीघा 06 बिस्वा भूमि आवंटित करवाने के लिए राज्य सरकार की निर्धारित रियायती दर से करवाने का निवेदन किया है।

प्रकरण वास्ते निर्णय हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति बैठक में कीमतन आवंटन किया जाने वास्ते निर्णयार्थ उचित आदेशार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव का विस्तृत परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 07 :: श्री मोहम्मद इकबाल कुरेशी न्यु बकरा मंडी चौखा में भूखण्ड सं. 108 के आवंटन बाबत्।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	श्री मोहम्मद इकबाल कुरेशी न्यु बकरा मंडी चौखा में भूखण्ड सं. 108 के आवंटन के संबंध में नियमानुसार आवंटन करने की अभिशंषा की गई है।

प्रकरण पूर्व में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में दिनांक 25.10.2021 को विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखा गया था जिसके प्रस्ताव संख्या 04 के निर्णयानुसार आवंटी को पूर्व में आवंटित भूखण्ड में होकर गुजरने वाली पाईप लाईन का क्षेत्र छोडने के पश्चात कितना एरिया खाली बचता है, इस संबंधी रिपोर्ट संबंधित उपायुक्त पत्रावली में प्राप्त करने के पश्चात गुणावगुण के आधार पर उपरोक्त प्रस्ताव अनुसार भूखण्ड का आवंटन करने एवं आवंटन के संबंध में की गई कार्यवाही का अनुमोदन आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में करवाने का निर्णय लिया गया था।

उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा लिखित में सहमति दी गई कि इसी योजना में भूखण्ड संख्या 108 मौके पर जैसा उपलब्ध है उसी नाप में प्रार्थी लेने के लिए सहमत है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 108 मौके पर जिस क्षैत्रफल/माप का उपलब्ध है, उसी अनुसार आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 08 :: जोन – पश्चिम में भवन निर्माण सामग्री मार्केट, अप्रवासी भारतीयों के लिए आवासीय योजना, कलाकारों हेतु आवासीय योजना के भूखण्डों का आवंटन लोटरी/निलामी द्वारा किया जाने तथा कॉलोनियों का नामकरण बाबत्।

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।	जोन– पश्चिम में नवीन योजना अनुमोदन हेतु।

1. <u>भवन निर्माण सामग्री मार्केट</u> :–

भवन निर्माण सामग्री के व्यवसाय को उत्कृष्ट आयाम देने वाली जोधपुर विकास प्राधिकरण की योजना ग्राम चौखा के खसरा संख्या 706, 707 में (कुल रकबा 38.09 बीघा) तैयार की गई है। इस योजना में आधुनिकता के साथ सामन्जस्य करते हुए पार्किंग, वृक्षारोपण, सामुदायिक सुविधाएँ आदि का समावेश किया गया है।

1. भवन निर्माण सामग्री मार्केट रेल्वे स्टेशन से 13 कि.मी. व डाली बाई चौराहे से 2.5 किमी दूर गंगाणा रोड पर है।

2. इस योजना में कुल 164 भूखण्ड है।

क्र.सं.	साईज	संख्या
1.	15 X 30	54
2.	20X50	57
3.	40X50	19
4.	50X50	5
5.	कोर्नर शोप्स	29

3. स्कीम का क्षेत्र 52228.41 वर्गमीटर है। जिसमें

1.	दुकाने	19998.23 व.मी.	38.5 %
2.	वृक्षारोपण	10354.49 व.मी.	19.82%
3.	सामुदायिक सुविधाएँ	2538.46 व.मी.	5%
4.	सड़क	13969.76 व.मी.	26.7%
5.	पार्किंग	5367.50 व.मी.	10 %

इस योजना में महानगर का रूप ले चुके जोधपुर शहर का करीब आधा भाग लाभावित होगा।

2. अप्रवासी भारतीयों के लिए आवासीय योजना :–

अप्रवासी भारतीयों को अपनी मातृभूमि से भावनात्मक रूप से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण योजना ग्राम चौखा के खसरा संख्या 72, 82 में स्थित हैं यह योजना जोधुर रेल्वे स्टेशन से 13 किमी दूर है। अपनी भव्यता के साथ साकार होने वाली इस योजना की सड़के 12 मीटर से 48 मीटर तक चौडी होगी। इस योजना में बडे–बडे पार्क तथा आधुनिकतम सामुदायिक सुविधाओं का समावेश किया गया है। यह योजना रामराज नगर, दन्तोपंत ढेगडी नगर समीप हैं।

1. इस योजना का स्कीम क्षैत्र 301254.85 वर्गमीटर है।

1.	आवासीय	128574.86 व.मी.	42.68%
2.	वाणिज्यिक	17079.94 व.मी.	5.67%
3.	इनफोरमल	1502.92 व.मी.	0.50%
4.	पार्क	30710.90 व.मी.	10.19%
5.	स्कूल	3383.77 व.मी.	1.12%
6.	अस्पताल	385.77 व.मी.	1.12%
7.	अन्य सुविधा	24663.48 व.मी.	8.19%
8.	सड़क	91953.89 व.मी.	30.52%

2. इस योजना में कुल 502 भूखण्ड है।

क्र.सं.	साईज	अनियमित आकार	सामान्य	कोर्नर	कुल
1.	30x60	4	108	8	120
2.	30x60	51	0	2	3
3.	40x70	3	139	25	167
4.	50x90	1	94	19	114

5.	50x95	0	3	4	7
6.	60x120	0	1	2	3
		वाणिज्यिक			
7.	50x100	1	35	2	38

3. कलाकार हेतु आवासीय कॉलोनी :—

राजस्थान अपने अतीत में गौरवशाली सास्कृतिक विरासत को समेटे हुए है इस सांस्कृकि विरासत को समृद्ध बनाने में यहां की पराम्परागत कलाकार जातियों— मिरासी, लंगा, कालबेलिया, ढाढी, रावल, भोपा, मांगनियार, गाडिया लौहार आदि का अमूल्य योगदान रहा है। इन जातियों को एक स्थान पर बसा कर राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को समृद्धि बढाने में यह योजना मील का पत्थर साबित होगी ।

1. यह योजना ग्राम चौखा के खसरा नं. 28 में स्थित है इसकी रेल्वे स्टैशन से दूरी करीब 20 कि. मी. है। यह योजना राजीव गांधी नगर योजना व विनोबा भावे नगर के समीप है।

2. इस योजना का क्षैत्र 323862.72 वर्गमीटर है।

3. इस योजना में कुल 1818 आवासीय भूखण्ड है तथा 128 व्यवसायिक भूखण्ड है ।

क.सं.	साईज	सामान्य भूखण्ड	कॉर्नर भूखण्ड	कुल
TYPE A	15 X 30	768	128	896
TYPE B	20X50	696	90	786
TYPE C	25X50	76	08	84
वाणिज्यिक	40X70	44	08	52
		कुल भूखण्ड		1818
		Informal Shop - 10X10		128

4. स्कीम का क्षैत्र 323812.72 वर्गमीटर है।

1.	आवासीय	124084.75	38.31 %
2.	वाणिज्यिक	19069.54	5.89 %
3.	सुविधाएँ	32674.89	10.09%
4.	पार्क	32978.62	10.18%
5.	रोड	115054.92	35.53 %

उपरोक्त कॉलोनियों का ले—आउट प्लान कमेटी की बैठक दिनांक 26.11.2021 के द्वारा ले—आउट प्लान स्वीकृत किया जा चूका है।

1. भवन निर्माण सामग्री मार्केट खसरा संख्या 706, 707 ग्राम चौखा में स्थित है
2. 2. अप्रवासी भारतीयों के लिए आवासीय योजना, खसरा संख्या 72 व 82 ग्राम चौखा में स्थित है।

3. कलाकारों हेतु आवासीय कॉलोनी खसरा संख्या 28 ग्राम चौखा में स्थित है।

उक्त कॉलोनियों के भूखण्डों का आवंटन लोटरी/निलामी द्वारा किया जाने तथा कॉलोनियों का उपरोक्तानुसार नामकरण हेतु सक्षम स्वीकृति प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में उचित निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार तीनों योजनाओं को स्वीकृत करने/लांच करने/विकसित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 09 :: श्री हस्तीमल आर्य पुत्र श्री मोहनलाल आर्य भूखण्ड संख्या 224 सेक्टर–ए राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा के बदले अन्य भूखण्ड आवंटन करने के बाबत्

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा / प्रस्ताव
01.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवम् टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है । JDA/FTS/44069	भूखण्ड के बदले अन्य अन्य भूखण्ड आवंटन करने की सक्षम की सक्षम स्वीकृति हेतु ।

प्रार्थी श्री हस्तीमल आर्य पुत्र श्री मोहनलाल आर्य कार्यालय द्वारा दिनांक 15.02.2010 को लॉटरी क जरिये भूखण्ड संख्या 224 सेक्टर–ए, राजीव गांधी नगर योजना में क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटित किया गया । उक्त भूखण्ड की लीजडीड दिनांक 13.6.2010 को कार्यालय द्वारा जारी की गई। प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.08.2021 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड पर जाने का रास्त तक नहीं है । पत्थरीले पहाड व झाडिया होने के कारण अन्य भूखण्ड आवंटित करने की मांग की है । कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त भूखण्ड मौके पर ब्लॉक में भूखण्ड संख्या 188 से 227 के मुटाम नहीं है एवं ब्लॉक तक पहुचने का मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रार्थी को अन्य भूखण्ड आवंटित करने के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थी को समान आकार समान सडक के अन्य भूखण्ड का मौका दिखाए जाने पर प्रार्थी द्वारा भूखण्ड संख्या 100 सेक्टर–ए राजीव गांधी नगर योजना क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर आवंटित करने के लिए अपनी सहमति प्रस्तुत की गई ।

प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 224 सेक्टर–ए, राजीव गांधी नगर योजना के बदले भूखण्ड संख्या 100 सेक्टर–ए क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर का आवंटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष अन्य भूखण्ड आवंटित करने हेतु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 100 सेक्टर–ए क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर का आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: श्रीमति राजकुमारी जैन पत्नी श्री किशनलाल जैन भूखण्ड संख्या 406 सेक्टर–ए राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा के बदले अन्य भूखण्ड आवंटन करने के बाबत

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा / प्रस्ताव

1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवम् टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है । JDA/FTS/45882	भूखण्ड के बदले अन्य अन्य भूखण्ड आवंटन करने की सक्षम की सक्षम स्वीकृति हेतु ।

प्रार्थीनी श्रीमति राजकुमारी जैन पत्नी श्री किसनलाल जैन को कार्यालय दिनांक 15.02.2010 को लॉटरी क जरिये भूखण्ड संख्या 406 सेक्टर–ए, राजीव गांधी नगर योजना में क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटित किया गया । उक्त भूखण्ड की लीजडीड दिनांक 10.06.2011 को कार्यालय द्वारा जारी की गई। प्रार्थीनी द्वारा दिनांक 18.10.2021 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड पर जाने का रास्त तक नहीं है। पत्थरीले पहाड व झाडिया होने के कारण अन्य भूखण्ड आवंटित करने की मांग की है । कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार उक्त मौके पर पहुचने का मार्ग नहीं होने एवं पहाडी पर होने के कारण प्रार्थीनी को अन्य भूखण्ड आवंटित करने के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थीनी को समान आकार समान सडक के अन्य भूखण्ड का मौका दिखाए जाने पर प्राथीर्नी द्वारा भूखण्ड संख्या 45 सेक्टर–बी राजीव गांधी नगर योजना क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर आवंटित करने के लिए अपनी सहमति प्रस्तुत की गई ।

प्रार्थीनी को भूखण्ड संख्या 406 सेक्टर–ए, राजीव गांधी नगर योजना के बदले भूखण्ड संख्या 45 सेक्टर–बी क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर का आवंटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष अन्य भूखण्ड आवंटित करने हेतु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार प्रार्थीया को भूखण्ड संख्या 45 सेक्टर–बी क्षैत्रफल 275 वर्ग मीटर का आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 11 :: श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री सवाई सिंह भूखण्ड संख्या 391 सेक्टर–ए राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा के बदले अन्य भूखण्ड आवंटन करने के बाबत्

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवम् टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है । JDA/FTS/45742	भूखण्ड के बदले अन्य अन्य भूखण्ड आवंटन करने की सक्षम की सक्षम स्वीकृति हेतु ।

प्रार्थी श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री सवाई सिंह को कार्यालय दिनांक 15.02.2010 को लॉटरी के जरिये भूखण्ड संख्या 391 सेक्टर–ए, राजीव गांधी नगर योजना में क्षैत्रफल 162 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटित किया गया। उक्त भूखण्ड की लीजडीड दिनांक 23.05.2012 को कार्यालय द्वारा जारी की गई। प्रार्थी द्वारा दिनांक 14.09.2021 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड पर जाने का रास्त तक नहीं है। पत्थरीले पहाड व झाडिया होने के कारण अन्य भूखण्ड आवंटित करने की मांग की है । पैरा नं. 48 में कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार उक्त मौके पर पहुचने का मार्ग नहीं होने एवं पहाडी पर होने के कारण प्रार्थी को अन्य भूखण्ड आवंटित करने के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थी को समान आकार समान सडक के अन्य भूखण्ड का मौका दिखाए जाने पर प्रार्थी द्वारा भूखण्ड संख्या 49 सेक्टर–ए राजीव गांधी नगर योजना क्षैत्रफल 252 वर्गमीटर आवंटित करने के लिए अपनी सहमति प्रस्तुत की गई । प्रार्थी द्वारा आवंटित भूखण्ड से 90 वर्गमीटर अधिक क्षैत्रफल का भूखण्ड आवंटित करने की सहमति प्रस्तुत की है ।

प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 391 सेक्टर–ए, राजीव गांधी नगर योजना के बदले भूखण्ड संख्या 49 सेक्टर–ए क्षैत्रफल 252 वर्गमीटर का आवंटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष अन्य भूखण्ड आवंटित करने हेतु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 49 सेक्टर–ए क्षैत्रफल 252 वर्गमीटर का आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्त्रव संख्या 12 :: श्री संदीप माहेश्वरी पुत्र श्री हरी माहेश्वरी भूखण्ड संख्या 332 सेक्टर–ए राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा के बदले अन्य भूखण्ड आवंटन करने के बाबत् ।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवम् टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है । JDA/FTS/33076	भूखण्ड के बदले अन्य अन्य भूखण्ड आवंटन करने की सक्षम की सक्षम स्वीकृति हेतु ।

प्रार्थी श्री संदीप माहेश्वरी पुत्र श्री हरी माहेश्वरी को भूखण्ड संख्या 332 सेक्टर–ए, राजीव गांधी नगर योजना में क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटित किया गया । प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया लीजडीड जारी करने की कार्यवाही में कनिष्ठ अभियान्ता से मौका रिपोर्ट मंगवाई गई । पैरा नं. 42 में कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार उक्त मौके पर पहुचने का मार्ग नहीं होने एवं पहाडी पर होने के कारण प्रार्थी को अन्य भूखण्ड आवंटित करने के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थी को समान आकार समान सडक के अन्य भूखण्ड का मौका दिखाए जाने पर प्रार्थी द्वारा भूखण्ड संख्या 69 सेक्टर–ई राजीव गांधी नगर योजना क्षैत्रफल 252 वर्गमीटर आवंटित करने के लिए अपनी सहमति प्रस्तुत की गई । प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 332 सेक्टर–ए, राजीव गांधी नगर योजना के बदले भूखण्ड संख्या 69 सेक्टर–ई क्षैत्रफल 252 वर्गमीटर का आवंटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष अन्य भूखण्ड आवंटित करने हेतु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 69 सेक्टर–ई क्षैत्रफल 252 वर्गमीटर का आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 13 :: श्री देवकिशन गोयल पुत्र श्री हनुमान प्रसाद अग्रवाल भूखण्ड संख्या 281 सेक्टर–ए राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा के बदले अन्य भूखण्ड आवंटन करने के बाबत

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवम् टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। JDA/FTS/46809	भूखण्ड के बदले अन्य भूखण्ड आवंटन करने की सक्षम स्वीकृति हेतु ।

प्रार्थीनी श्री देवकिशन गोयल पुत्र श्री हनुमान प्रसाद अग्रवाल को कार्यालय दिनांक 15.02.2010 को लॉटरी क जरिये भूखण्ड संख्या 281 सेक्टर–ए, राजीव गांधी नगर योजना में क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटित किया गया । उक्त भूखण्ड की लीजडीड दिनांक 05.09.2011 को कार्यालय द्वारा जारी की गई। प्रार्थीनी द्वारा दिनांक 17.11.2021 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड पर जाने का रास्त तक

नहीं है। पत्थरीले पहाड व झाडिया होने के कारण अन्य भूखण्ड आवंटित करने की मांग की है । कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार उक्त मौके पर पहुचने का मार्ग नहीं होने एवं पहाडी पर होने के कारण प्रार्थीनी को अन्य भूखण्ड आवंटित करने के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थीनी को समान आकार समान सडक के अन्य भूखण्ड का मौका दिखाए जाने पर प्राथीर्नी द्वारा भूखण्ड संख्या 49 सेक्टर–ए राजीव गांधी नगर योजना क्षैत्रफल 252 वर्गमीटर आवंटित करने के लिए अपनी सहमति प्रस्तुत की गई।

प्रार्थीनी को भूखण्ड संख्या 281 सेक्टर–ए, राजीव गांधी नगर योजना के बदले भूखण्ड संख्या 49 सेक्टर–एफ क्षैत्रफल 252 वर्गमीटर का आवंटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष अन्य भूखण्ड आवंटित करने हेतु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि उपरोक्त प्रस्ताव में सहवन से भूखण्ड संख्या 49 सेक्टर एफ टंकित हुआ जो गलत है तथा उक्त भूखण्ड संख्या 49 इसी बैठक में प्रस्ताव संख्या 11 द्वारा आवंटित किया जा चुका है। अतः बैठक में उपस्थित उपायुक्त–पश्चिम ने आवेदक को भूखण्ड संख्या 59 सेक्टर ए जो कि मौके पर रिक्त है तथा किसी अन्य को आवंटित नहीं है, आवंटित किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अतः बैठक बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 59 सेक्टर–ए क्षैत्रफल 252 वर्गमीटर का आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 14 :: श्रीमति कौशल्या खत्री पत्नी श्री रमेश कुमार भूखण्ड संख्या 411सेक्टर–ए राजीव गांधी नगर योजना ग्राम चौखा के बदले अन्य भूखण्ड आवंटन करने के बाबत्

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवम् टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। JDA/FTS/45935	भूखण्ड के बदले अन्य अन्य भूखण्ड आवंटन करने की सक्षम की सक्षम स्वीकृति हेतु ।

प्रार्थीनी श्रीमति कौशल्या खत्री पत्नी श्री रमेश कुमार को कार्यालय दिनांक 15.02.2010 को लॉटरी के जरिये भूखण्ड संख्या 411 सेक्टर–ए, राजीव गांधी नगर योजना में क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटित किया गया । उक्त भूखण्ड की लीजडीड दिनांक 08.05.2010 को कार्यालय द्वारा जारी की गई। प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.09.2021 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड पर जाने का रास्त तक नहीं है। पत्थरीले पहाड व झाडिया होने के कारण अन्य भूखण्ड आवंटित करने की मांग की है। कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार उक्त मौके पर पहुचने का मार्ग नहीं होने एवं पहाडी पर होने के कारण प्रार्थी को अन्य भूखण्ड आवंटित करने के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थी को समान आकार समान सडक के अन्य भूखण्ड का मौका दिखाए जाने पर प्रार्थी द्वारा भूखण्ड संख्या 45 सेक्टर–बी राजीव गांधी नगर योजना क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर आवंटित करने के लिए अपनी सहमति प्रस्तुत की गई । प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 411 सेक्टर–ए, राजीव गांधी नगर योजना के बदले भूखण्ड संख्या 45 सेक्टर–बी क्षैत्रफल 275 वर्गमीटर का आवंटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष अन्य भूखण्ड आवंटित करने हेतु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि उपरोक्त प्रस्ताव में सहवन से भूखण्ड संख्या 45 सेक्टर बी टंकित हुआ जो गलत है तथा उक्त भूखण्ड संख्या 45 इसी बैठक में प्रस्ताव संख्या 10 द्वारा आवंटित किया जा चुका है। अतः बैठक में उपस्थित उपायुक्त–पश्चिम ने आवेदक को भूखण्ड संख्या 52 सेक्टर बी जो कि मौके पर रिक्त है तथा किसी अन्य को आवंटित नहीं

है, आवंटित किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अतः बैठक बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 52 सेक्टर–बी क्षेत्रफल 275 वर्गमीटर का आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 15 :: श्री अन्नाराम पुत्र श्री रूपाराम भूखण्ड संख्या 109 (20 X 45 बनाप 100 वर्गगज) सेक्टर–बी, कीर्ति नगर योजना के बदले अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डों के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	अन्यत्र भूखण्ड आवंटन के संबंध मे।	श्री अन्नाराम पुत्र श्री रूपाराम भूखण्ड संख्या 109 (20 X 45 बनाप 100 वर्गगज) सेक्टर–बी, कीर्ति नगर योजना के बदले अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत।

नगर विकास न्यास/ जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा दिनांक 11.9.1988 को भूखण्ड संख्या 109 सेक्टर बी कीर्ति नगर योजना में श्री अन्नाराम पुत्र श्री रूपाराम को आंवटन किया गया। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21.10.2010 के प्रस्ताव संख्या 12 में कीति नगर योजना सेक्टर बी में आवंटित भूखण्डो पर अतिक्रमण होने से आवंटित भूखण्ड की एवंज में सुन्दर सिंह भण्डारी नगर आवासीय योजना में लॉटरी द्वारा भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लिया गया है। श्री अन्नाराम पुत्र श्री रूपाराम को कीति नगर सेक्टर बी में आवंटित भूखण्ड संख्या 109 सेक्टर बी की मूल पत्रावली उपलब्ध नही होने से लॉटरी में शामिल नही किया गया है। श्री अन्नाराम पुत्र श्री रूपाराम ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूखण्ड संख्या 109 सेक्टर बी की एवज में अन्य भूखण्ड आवंटन करने की मांग की है। तत्कालीन नगर सुधार न्यास जोधपुर के भूखण्ड संख्या बी–109 कीति नगर योजना की डुप्लीकेट पत्रावली बनवाकर अन्य भूखण्ड आवंटन करने संबंधी अग्रिम कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में आम सूचना 27.10.2021 को जारी की गई थी। आम सूचना का प्रकाशन दिनांक 28.10.2021 को करवाया गया था। इस संबंध में कोई आपत्ति एवं उजर/एतराज प्राप्त नही हुई है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सुन्दर सिंह भण्डारी नगर आवासीय योजना में भूखण्ड आवंटन की मांग की है। इस हेतु कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 17.4.2009 के अनुसार प्रस्ताव संख्या 9 में डुप्लीकेट पत्रावली संधारित की जानी है।

अतः भूखण्ड संख्या 109 (20 X 45 बनाप 100 वर्गगज) सेक्टर–बी, कीर्ति नगर योजना की एवंज में अन्य भूखण्ड सुन्दर सिंह भण्डारी नगर योजना में समतुल्य भूखण्ड आवंटन करने हेतु डुप्लीकेट पत्रावती खोलने की अनुमति कार्यकारी समिति से लने हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में रखा जाने वास्ते निर्णयार्थ/अनुमोदर्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार भूखण्ड संख्या 109 **सेक्टर–बी, कीर्तिनगर योजना की डुप्लीकेट पत्रावली खोलने का निर्णय लिया गया।**

प्रस्ताव संख्या 16 :: ग्राम जाजीवाल भाटियान् के खसरा संख्या 58,153 व 157 में व्यावसायिक हाउसिंग/गोदाम योजना के संबंध मे।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	व्यावसायिक हाउसिंग/गोदाम योजना के संबंध मे	ग्राम जाजीवाल भाटियान् के खसरा संख्या 58,153 व 157 में व्यावसायिक हाउसिंग/गोदाम योजना के संबंध मे

ग्राम जाजीवाल भाटियान के खसरा संख्या 58,153 व 157 में व्यावसायिक हाउसिंग/गोदाम योजना हेतु।

पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि के पश्चिम दिशा में राजस्व रेकर्ड अनुार वाटर बॉडी नही है परन्तु मौके पर दोनो साइडो में सिमेंट के पिलर लगे हुए है। यह कितने व कब लगाये गये मौके पर इसकी जानकारी नही मिली है। आवेदित भूमि पर पाल भी बनी हुई है। जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही है तथा खसरा संख्या 157 भी उतर में व खसरा सं 58 के बीच खसरा संख्या 153 किस्म गै मु रास्ता राजस्व रेकर्ड में है जो मौके पर वही नही चलकर खसरा संख्या 58 में चल रहा हैं। जहा डामर सड़क का निर्माण हो रखा है।

आयोजना शाखा रिपोर्ट अनुसार "प्रश्नगत भूमि मास्टर प्लान 2031 के अनुसार यू–2 में आरक्षित है। आवेदित भूमि मे से विद्युत लाईन गुजर रही है जिसकी स्थिति की जांच अपेक्षित हैं साथ ही आवेदित क्षेत्र के पश्चिम दिशा में वाटर बॉडी प्रतीत होती है। अतः उक्त के संबंध मं तथा आवेदित भूमि के मध्य अन्य कोई वाटर बॉडी है उक्त के संबंध में टिप्पणी प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।" विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरो पर कोई वाद–विवाद लम्बित नही है।

अतः जाजीवाल भाटियान के खसरा संख्या 58,153 व 157 में रकबा 196.10 बीघा भूमि व्यावसायिक वेयर हाउसिंग/गोदाम योजना को विकसित करने हेतु प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में रखा जाने वास्ते निर्णयार्थ/अनुमोदर्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार ग्राम जाजीवाल भाटियान के खसरा संख्या 58,153 व 157 में रकबा 196.10 बीघा भूमि पर व्यावसायिक वेयर हाउसिंग/गोदाम योजना को स्वीकृत करने/लांच करने/विकसित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 17 :: ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 74 में राजकीय महिला आई टी आई मण्डोर जोधपुर के संबंध मे।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	राजकीय महिला आई टी आई मण्डोर जोधपुर	ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 74 में राजकीय महिला आई टी आई मण्डोर जोधपुर के संबंध मे।

ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 74 में राजकीय महिला आई टी आई मण्डोर जोधपुर हेतु प्रपत्र 'स' आवेदन प्रस्तुत किया। जिसमे 6.5 एकड भूमि हेतु आवेदन किया गया।

पटवारी रिपोर्ट अनुसार खसरा सं 74 रकबा 235.17 बीघा किस्म गैमु. पहाड़ नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम दर्ज है जो मूल खसरा संख्या है राजस्व रेकर्ड में कोई बट्टा नम्बर नही हैं अतः कोई तरमीम भी नही है। राजस्व जमाबन्दी व नक्शा संलग्न हैं खसरा संख्या 74 पूर्व में आवंटित व प्रस्तावित भूमि का नजरीय नक्शा प्रस्तुत किया गया हैं।

आयोजना शाखा रिपोर्ट अनुसार पटवारी द्वारा चिन्हित लोकेशन का लैण्डयूज मास्टर प्लान 2031 के अनुसार आवेदित भूमि का भू–उपयोग आवासीय भू–उपयोग एवं आंशिक Plantation balt along नाडी/ तलाब में आरक्षित है साथ ही आंशिक स्कूल में आरक्षित हैं। मास्टर प्लान–2031 के DCR FOR RESIDENTIOL LAND USE के अनुसार Government Public utilites are allowed Permissible on all roads & Permissible instituious is allowed on 30m and above road हैं। विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरो पर कोई वाद–विवाद लम्बित नही है।

अतः ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 74 में राजकीय महिला आई टी आई मण्डोर जोधपुर को 13 बीघा भूमि प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में आवंटन नीति–2015 के बिन्दू संख्या 9.3 के अनुसार निःशुल्क आवंटन हेतु रखा जाने वास्ते निर्णयार्थ/अनुमोदर्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार, ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 74 में राजकीय महिला आई टी आई मण्डोर, जोधपुर को 13 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की निःशुल्क भूमि आवंटन की अभिशंषा के साथ राज्य सरकार को निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 18 :: खसरा न. 327 व 328 ग्राम सांवत कुआ कलां में जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय को भूमि आवंटन के संबंध मे।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिंशषा /प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो एवम टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	खसरा न. 327 व 328 ग्राम सांवत कुआ कलां में जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय कोभूमि आवंटन

कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के खसरा संख्या 327, 328 ग्राम सांवत कुआ कलां में 827.12 बीघा भूमि आवंटन हेतु राज्य सरकार की पत्र क्रमांक प.1(94)नविवि/जोविप्रा/2019 जयपुर दिनांक 20.07.2021 के द्वारा भूमि आवंटन नीति–2015 में वर्णित सीमा से अधिक भूमि दिए जाने संबंधी विवरण प्रपत्र स सहित चाहा गया है।

कुल सचिव, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा दिनांक 16.11.2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर संस्था द्वारा विभिन्न श्रैणी अनुसार भूमि की मांग की गई है।

इस संबंध में दिनांक 16.11.2021 को कुलपति कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर व राजिस्ट्रार, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के साथ हुई बैठक में आई. सी.ए.आर के प्रावधानो के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय हेतु भूमि की आवश्यकता के आधार पर 108 हेक्टेयर भूमि आवंटन किये जाने के संबंध में कुलपति कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सहमति व्यक्त की गई।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में कृषि विश्वविद्यालय हेतु भूमि आवंटन कीमत का निर्धारण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 18.10.2019 के निर्णय के अनुसार आरक्षित दर 1452/– प्रतिवर्गमीटर से किया गया था एवं तदानुसार आरक्षित दर के अनुसार आवंटन प्रकरण प्रेषित किया गया था। विधि शाखा रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद विवाद नही है।

आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 5.4 में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 30.6.2021 से किये गये संशोधन के अनुसार अविकसित भूमि का आवंटन डीएलसी दर +20 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क से गणना कर आवंटन कीमत निर्धारण का अंकन किया गया है। आवंटन नीति– 2015 में संशोधन के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में आवंटन कीमत का निर्धारण डीएलसी+20 प्रतिशत से गणना करने पर आवंटन कीमत राशि 12,04,35,534/– बनती है।

अतः उक्तानुसार कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर को 108 हेक्टेयर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण आगामी कार्यकारी समिति की बैठक की प्रत्याशा में आवंटन संबंधी अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है।

अतः कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के खसरा संख्या 327, 328 ग्राम सांवत कुआ कलां में 827.12 बीघा भूमि आवंटन हेतु 108 हेक्टेयर भूमि आवंटन का प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर को खसरा संख्या 327, 328 ग्राम सांवत कुआ कलां में 108 हेक्टेयर भूमि आवंटन के संबंध में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में प्रेषित किये गये जाने का अनुमोदन करने का निर्णय लिया तथा राज्य सरकार से इस संबंध में प्राप्त स्वीकृति के कम में कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर को खसरा संख्या 327, 328 ग्राम सांवत कुआ कलां में 108 हेक्टेयर भूमि आवंटन करने निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 19 :: ग्राम करवड़ में FINTECH DIGITAL UNIVERSITY हेतु खसरा न. 453 व 426 में भूमि आवंटन हेतु।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिंशषा /प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो एवम टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	ग्राम करवड़ में FINTECH DIGITAL UNIVERSITY हेतु खसरा न. 453 व 426 में भूमि आवंटन हेतु

सूचना प्रोद्योगिकी और सचार विभाग द्वारा द्वारा आवंटन नीति–2015 के अनुरूप प्रपत्र "स" में आवेदन पेश कर जोधपुर में ग्राम करवड़ के खसरा संख्या 453 में से 61 बीघा व 426 मे से 5 बीघा भूमि किस्म बारानी चतुर्थ में FINTECH DIGITAL UNIVERSITY हेतु 66 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

ग्राम करवड़ में FINTECH DIGITAL UNIVERSITY हेतु खसरा न. 453 व 426 भूमि किस्म बारानी चतुर्थ जो जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा रिपोर्ट अनुसार मास्टर प्लान 2031 के अनुसार Mixed & knowledge city मे स्थिति उक्त भूमि मास्टर प्लान की 90 M outer ring रोड़ पर स्थित है एवं उक्त सड़क पर दोनो तरफ 100 – 100 फीट प्लान्टेनसन बैल्ट का प्रावधान हैं। मास्टर प्लान 2031 की रिपोर्ट अनुसार डी सी आर में Mixed land use & DCR OF knowledge city में 30 M व अधिक मार्गाधिकार पर UNIVERSITY COLLEGE PROPESSIONAL INSTITUTION अनुज्ञेय है। विधि शाखा रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद विवाद नही है। उक्त खसरे में आम सूचना का दिनांक 12.11.2021 को प्रकाशित करवा दी गई है।

सयुंक्त शासन सचिव –प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ3/(55)नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 26.11.2020 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अन्तर्गत राजस्थान के नगरीय निकायो (विकास प्राधिकरणो, आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यासो, नगर निगमों/परिषदो /मण्डलों) को निर्देशो दिये जाते है कि किसी भी संस्था को या चाहे व सरकारी हो या अर्द्धसरकारी हो या चेरीटेबल ट्रस्ट हो, को कोई भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित नही की जावे चाहे व आवंटन कीमतन हो या रियायती दर पर हो, प्रत्येक प्रकरण में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे।

आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 5.4 में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 30.6.2021 से किये गये संशोधन के अनुसार अविकसित भूमि का आवंटन डीएलसी दर +20 प्रतिशत प्रशासनिक शुल्क से

गणना कर आवंटन कीमत निर्धारण का अंकन किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की आगामी बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में आवंटन कीमत का निर्धारण डीएलसी+20 प्रतिशत से गणना करने पर आवंटन कीमत राशि 57586948/— बनती है।

अतः बजट घोषणा वर्ष 2021—22 के (बिन्दू सं 47) में प्रकरण जोधपुर विकास प्रधिकरण जोधपुर की कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में राज्य सरकार के समक्ष राजस्व ग्राम करवड़ के खसरा संख्या 453 में से 61 बीघा व 426 मे से 5 बीघा में किस्म बारानी चतुर्थ इस प्रकार कुल 66 बीघा भूमि में FINTECH DIGITAL UNIVERSITY हेतु निःशुल्क आवंटन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।

अतः FINTECH DIGITAL UNIVERSITY हेतु ग्राम करवड़ के खसरा संख्या 453 में से 61 बीघा व 426 मे से 5 बीघा भूमि किस्म बारानी चतुर्थ मे कुल 66 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन का प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार FINTECH DIGITAL UNIVERSITY हेतु ग्राम करवड़ के खसरा संख्या 453 में से 61 बीघा व 426 मे से 5 बीघा कुल रकबा 66 बीघा भूमि किस्म बारानी चतुर्थ निःशुल्क आवंटन करने हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में राज्य सरकार को प्रेषित किये गये प्रस्ताव का अनुंमोदन करने निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 20 :: भूखण्ड संख्या 163, 164, 167 व अन्य भूखण्ड सेक्टर ए मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना को अन्य भूखण्ड आवंटित करने के संबंध में।

क्रं.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध
01.	प्राधिकरण की मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना के संशोधित मानचित्र अनुसार समान माप के रिक्त भूखण्ड आवंटन किया जाना प्रस्तावित है।	प्राधिकरण की मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना के भूखण्ड संख्या 163, 164, 167 व अन्य भूखण्ड सेक्टर ए में मौके पर पुराने अतिक्रमण होने के कारण उक्त भूखण्डों का कब्जा दिया जाना संभव नही है। मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना के संशोधित मानचित्र अनुसार समान माप के रिक्त भूखण्ड आवंटन किया जाना उचित प्रस्तावित है।

प्राधिकरण की मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना के भूखण्ड संख्या 163, 164 व 167 सेक्टर ए में मौके पर पुराने अतिक्रमण होने के कारण उक्त भूखण्डों का कब्जा दिया जाना संभव नही है। उक्त भूखण्डों के आवंटियों द्वारा प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत भूखण्ड के एवज में इसी योजना मे समान माप का रिक्त भूखण्ड आवंटन करने का निवेदन किया गया है, इसके अतिरिक्त भी कुछ भूखण्डों पर पुराने अतिक्रमण होने के कारण उनको भी इसी योजना मे वर्तमान में संशोधित मानचित्र अनुसार समान माप का रिक्त भूखण्ड आवंटन किया जाना उचित होगा। पत्रावली कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का विस्तृत परीक्षण कर सडक में जाने वाले भूखण्डों एवं अतिकमित भूखण्डों के बदले शिफ्टिंग के संबंध में कम्प्रीहैसिंव प्लान बनाकर आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 21 :: ग्राम सालावास के खसरा संख्या 95 व 96 में प्राधिकरण की भूमि पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ योजना विकसित करने के संबंध में।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम सालावास के खसरा संख्या 95 व 96 में प्राधिकरण की भूमि पर औद्योगिक प्रयोजनार्थ योजना विकसित करने की अभिशंषा की गई है।

ग्राम सालावास के खसरा संख्या 95 व 96 के आस पास औद्योगिक इकाईया स्थापित है। जिसके कारण माफियाओं द्वारा खसरा सख्या 95 व 96 की प्राधिकरण की बेशकीमती जमीन को खुर्द-बुर्द कर अतिक्रमण किया जा रहा है। जिसके कारण प्राधिकरण द्वारा आस पास के औद्योगिक क्षेत्र को देखते हुये तथा मास्टर प्लान में उक्त भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित होने से उक्त भूमि पर प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक योजना (उद्योग विहार) विकसित की जानी प्रस्तावित है।

प्राधिकरण की जोन राजस्व टीम की मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम सालावास के खसरा संख्या 95 व 96 राजस्व रेकर्ड में प्राधिकरण के नाम दर्ज है।

प्राधिकरण की ले-आउट प्लान अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 02.07.2021 के एजेण्डा सख्या 45 में राजस्व ग्राम सालावास के खसरा सख्या 95 व 96 में औद्योगिक योजना (उद्योग विहार) विकसित किये जाने हेतु मुख्य रूप से 50 ग 100 मीटर एवं 25 ग 50 मीटर के औद्योगिक भूखण्ड तथा अन्य व्यवसायिक व आवासीय भूखण्ड नियोजित किये गये है। साथ ही नियमानुसार सुविधा क्षेत्र तथा पार्क एवं खुले क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। बाद विचार-विमर्श उक्त औद्योगिक योजना को प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।

The Rajasthan Improvement Trust (Disposal of Urban land Rules) 1974 के नियम 15 के अनुसार व्यावसायिक प्रकृति की भूमि का निस्तारण सार्वजनिक नीलामी द्वारा किये जाने का प्रावधान है परन्तु माननीय मंत्री महोदय नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के दिनांक 24 व 25 जुलाई 2021 को जोधपुर प्रवास के दौरान आयोजित समीक्षा बैठक में भी योजना के भूखण्डों का आवंटन लॉटरी पद्वति से किये जाने के निर्देश प्रदत्त किये गये है।

जिसके संबंध में प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 1071 दिनांक 01.12.2021 के द्वारा उक्त योजना में भूखण्डों का आवंटन लॉटरी पद्वति से किये जाने की स्वीकृति हेतु पत्र राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है। जिसके प्रतिउत्तर में संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प. 1(67)नविवि/जोधपुर/2021 दिनांक 13 दिसम्बर 2021 के द्वारा उक्त योजना के समस्त भूखण्डों का आवंटन सार्वजनिक निलामी के स्थान पर निर्धारित आवंटन दर पर लॉटरी के माध्यम से किये जाने की स्वीकृति प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के स्तर पर सुनिश्चित किये जाने की शर्त पर एतदद्वारा प्रदान की गई है।

दिनांक 14.12.2021 को सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उक्त योजना की रिजर्व प्राईज 10,000/- रूपये प्रतिवर्गमीटर अनुमोदित की गई है।

अतः उद्योग नगर योजना में भूखण्डों का आवंटन सार्वजनिक निलामी के स्थान पर निर्धारित आवंटन दर पर लॉटरी के माध्यम से किये जाने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष अवलोकनार्थ एवं उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रस्तावानुसार योजना स्वीकृत/लांच/विकसित करने तथा भूखण्डों का निस्तारण लॉटरी के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 22 :: ग्राम नंदवान के खसरा संख्या 569 में प्राधिकरण की भूमि पर औद्योगिक योजना विकसित करने के संबंध में।

क. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/ टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम नंदवान के खसरा संख्या 569 में प्राधिकरण की भूमि पर औद्योगिक योजना विकसित करने की अभिशंषा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगो की आवश्यकताओं के देखते हुये प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम नंदवान के खसरा संख्या 569 रकबा 450655.87 वर्गमीटर भूमि पर सुक्ष्म, लघु व मध्यम औद्योगिक योजना (MSME योजना) विकसित करने की निर्णय लिया गया है।

प्राधिकरण की जोन राजस्व टीम की मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम नंदवान के खसरा संख्या 569 राजस्व रेकर्ड में प्राधिकरण के नाम दर्ज है।

प्राधिकरण की ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 24.11.2021 के एजेण्डा संख्या 26 में राजस्व ग्राम नंदवान के खसरा संख्या 569 (पार्ट) रकबा 450655.87 वर्गमीटर भूमि पर औद्योगिक योजना विकसित किये जाने हेतु मुख्य रूप से 15 ग 20 मीटर के 210 भूखण्ड एवं 20 ग 40 मीटर के 103 भूखण्ड तथा अन्य व्यवसायिक व आवासीय भूखण्ड नियोजित किये गये है। साथ ही नियमानुसार सुविधा क्षेत्र तथा पार्क एवं खुले क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। बाद विचार-विमर्श उक्त औद्योगिक योजना को प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14.12.2021 को सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उक्त योजना की रिजर्व प्राईज 7000/- रूपये प्रतिवर्गमीटर अनुमोदित की गई है।

अतः MSME योजना में भूखण्डों का आवंटन सार्वजनिक निलामी के स्थान पर निर्धारित आवंटन दर पर लॉटरी के माध्यम से किये जाने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष अवलोकनार्थ एवं उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रस्तावानुसार योजना स्वीकृत/लांच/विकसित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 23 :: सरदारपुरा सी रोड़ को 4 लेन करने का कार्य के अन्तिम समयावधि के अनुमोदन बाबत्।

क्र सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	सरदारपुरा सी रोड़ को 4 लेन करने का कार्य के अन्तिम समयावधि के अनुमोदन बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गैर राजकीय भूमि, अधिक एंव अतिरिक्त कार्यो एंव स्थान परिवर्तन कर कराये गये कार्यो के भुगतान के संबंध में निदेशक अभियांत्रिकी महोदय द्वारा पत्र क्रमांक डीई / 2019 / 1908 दिनांक 08.03.2019 एवं 2441 दिनांक 06.03.2020 द्वारा नगरीय विकास विभाग राज, जयपुर से निर्देश / स्वीकृति चाही गई थी। उक्त पत्रो के संबंध में श्रीमान संयुक्त शासन सचिव द्वितीय नगरीय विकास विभाग राज. जयपुर को गैर राजकीय भूमि पर कराये कार्यो तथा स्थान परिवर्तन कर अन्यत्र कार्य करवाये जाने तथा अतिरिक्त एंव अधिक कार्य के क्रम में जोधपुर विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.11.2020 की अनुशंषा अनुसार प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है तथा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न कार्यों में अतिरिक्त व अधिक कार्य हेतु तत्समय प्रचलित एस.ओ.पी तथा वित विभाग के आदेश दिनांक 24.01.2013, 04.09.2013 एवं 16.02.2018 की समयावधि में लागू आदेशों के अनुक्रम में तथा गठित कमेटी दिनांक 05.06.2020 कि रिपोर्ट प्राधिकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 25.11.2020 की अनुशंषा के आधार पर नगरीय विकास विभाग द्वारा अपने पत्र क्रमांक प.10(01)नविवि 2003 पार्ट जयपुर दिनांक 29.10.2021 द्वारा गैर राजकीय भूमि पर कराये गये विकास कार्यो तथा अतिरिक्त एवं अधिक कार्यो के भुगतान की स्वीकृति जारी की गई। उक्त कार्य में कार्यादेश अनुसार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित दिनांक 09.02.2014 थी तथा वास्तविक रूप से कार्य दिनांक 07.09.2015 को पूर्ण किया गया। कार्य पूर्ण करने हेतु विभिन्न कारणो तथा प्रशासन द्वारा गठित मोनेटरिंग कमेठी के निर्देशानुसार कार्य करवाये जाने के कारण कार्य मे विलम्ब हुआ तथा विलम्ब हेतु संवेदक को दोषी नही मानते हुए सहायक अभियन्ता द्वारा दिनांक 07.09.2015 तक अन्तिम समयावधि बिना शास्ति के स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया। कार्य में आवंटित समयावधि से दो गुणा समय लगने के कारण प्रचलित एस.ओ.पी अनुसार अन्तिम समयावधि आयुक्त महोदय की सक्षमता मे निहित था। प्रकरण के गुण–अवगुण के आधार पर आयुक्त महोदय द्वारा पत्रावली के पैरा सं. 174 दिनांक 02.11.2021 को दिनांक 07.09.2015 तक अन्तिम समयावधि कार्यकारी समिति की बैठक मे अनुमोदन की प्रत्याशा मे बिना शास्ति के स्वीकृत किया गया है।

(1) कार्य का विवरणः–

क्र सं	कार्य का नाम	अनुबंध सं / वर्ष	संवेदक का नाम	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित दिनांक	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक दिनांक
1	सरदारपुरा सी रोड़ को 4 लेन करने का कार्य।	05 / 2012–13	मैसर्स छगनीराम गहलोत	09.02.2014	07.09.2015

अतः कार्यकारी समिति की बैठक में "सरदारपुरा सी रोड़ को 4 लेन करने का कार्य के अन्तिम समयावधि दिनांक 07.09.2015 तक बिना शास्ति के स्वीकृति का अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 24 :: प्राधिकरण की नवीन प्रस्तावित योजनाओं की आरक्षित दर निर्धारण हेतु प्रस्ताव।

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एव टिप्पणीयों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छिपाया नहीं गया है।	प्राधिकरण की नवीन प्रस्तावित योजनाओं कलाकार कॉलोनी खसरा नं. 28 पार्ट चौखा, विश्वकर्मा मार्केट खसरा नं. 706, 707 ग्राम चौखा, एन.आर.आई. एन्कलेव खसरा नं. 72, 82 चौखा, उद्योग विहार ग्राम सालावास के खसरा संख्या 90 से 96, एग्रो इण्डस्ट्रीयल हेतु कल्पना चावला (MSME) योजना खसरा संख्या 579 पार्ट ग्राम नन्दवान की आरक्षित दर निर्धारण हेतु प्रस्ताव

नगरीय विकास विभाग द्वारा समय–समय पर प्रसारित आदेशों एवं राजस्थान (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत नवीन आरक्षित दरों के निर्धारण हेतु सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 14/12/2021 को आयोजित की गई। जोन वार सम्बन्धित क्षेत्र की भूमियों की प्रचलित वर्तमान डी.एल.सी. दर, वास्तविक बाजार दर एवं अन्य नगरीय विकास संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निम्नानुसार आरक्षित दरें प्रस्तावित की जाती है।

क्र. सं	.योजना का नाम	जोन	खसरा संख्या एवं ग्राम	आरक्षित दर प्रति वर्गमीटर	प्रयोजनार्थ
1.	विश्वकर्मा मार्केट	पश्चिम	खसरा नं. 706, 707 चौखा	22,000/–	वाणिज्यिक
2.	कलाकार कॉलोनी	पश्चिम	खसरा नं. 28 ग्राम चौखा	9000/–	आवासीय
3.	एन.आर.आई. एन्कलेव	पश्चिम	खसरा नं. 72 व 82 चौखा	8500/–	आवासीय
4.	उद्योग विहार योजना	दक्षिण	खसरा नं. 90 से 96 ग्राम सालावास	10000/–	औद्योगिक
5.	कल्पना चावला (MSME) योजना	दक्षिण	खसरा नं. 579 पार्ट ग्राम नन्दवान	7000/–	औद्योगिक

अतः नवीन योजनाओं की प्रस्तावित आरक्षित दर कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श के दौरान अवगत कराया गया कि उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित योजनाओं के अलावा इसी बैठक में प्रस्ताव संख्या 16 द्वारा ग्राम जाजीवाल भाटियान के खसरा संख्या 58, 153 व 157 में व्यवसायिक हाउसिंग/गौदाम योजना स्वीकृत/लांच/विकसित करने का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त व्यवसायिक हाउसिंग/गौदाम योजना (ग्राम जाजीवाल भाटियान खसरा संख्या 58, 153 व 175) की आरक्षित दर निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नलिखित अनुसार योजनाओं की आरक्षित दर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया:–

क्र. सं	.योजना का नाम	जोन	खसरा संख्या एवं ग्राम	आरक्षित दर प्रति वर्गमीटर	प्रयोजनार्थ
1.	विश्वकर्मा मार्केट	पश्चिम	खसरा नं. 706, 707 चौखा	22,000/-	वाणिज्यिक
2.	कलाकार कॉलोनी	पश्चिम	खसरा नं. 28 ग्राम चौखा	9000/-	आवासीय
3.	एन.आर.आई. एन्कलेव	पश्चिम	खसरा नं. 72 व 82 चौखा	8500/-	आवासीय
4.	उद्योग विहार योजना	दक्षिण	खसरा नं. 90 से 96 ग्राम सालावास	10000/-	औद्योगिक
5.	कल्पना चावला (MSME) योजना	दक्षिण	खसरा नं. 579 पार्ट ग्राम नन्दवान	7000/-	औद्योगिक
6.	व्यवसायिक वेयर हाउसिंग/गौदाम योजना	उत्तर	ग्राम जाजीवाल भाटियान खसरा संख्या 58, 153 व 175	6000/-	वाणिज्यिक वेयर हाउस

इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तालिका में कम संख्या 4 (उद्योग विहार योजना) एवं कम संख्या 5 (कल्पना चावला (MSME) योजना) की आवासीय एवं व्यवसायिक दर निर्धारित की जावे।

प्रस्ताव संख्या 25 :: जय नारायण व्यास टाउन हॉल की डिजाईन एवं ड्रॉईग की डीपीआर बनाने का कार्य

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	जय नारायण व्यास टाउन हॉल की डिजाईन एवं ड्रॉईग की डीपीआर बनाने का कार्य कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी की गई, जिसका अनुमोदन कार्यकारी समिति से अपेक्षित है।

जय नारायण व्यास टाउन हॉल की डिजाईन एवं ड्रॉईग की डीपीआर बनाने का कार्य का कार्य कार्यकारी समिति *(E.C. Meeting)* की प्रत्याशा में राशि रू. 25.00 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति एवं कार्य के लिये प्रस्तुत दरे जो उपापन समिति द्वारा अभिशंषा की गई दरे *@ 1.95 % of Project cost (10.88 crores) + GST @ 18 % Total Cost Rs. 25.00 Lakh* एवं कार्यादेश को अनुमोदित करने के लिये प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 26 :: Supply & fixing of Tip-up chiar in VIP Setting of Barkatullah khan stadium, Jodhpur

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	*Supply & fixing of Tip-up chiar in VIP Setting of Barkatullah khan stadium, Jodhpur*

Supply & fixing of Tip-up chiar in VIP Setting of Barkatullah khan stadium, Jodhpur का कार्य कार्यकारी समिति *(E.C. Meeting)* की प्रत्याशा में राशि रू. 99.30 लाख की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी की गई, जिसका अनुमोदन हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 27 :: Architectural and Engineering Consultancy & preparation of DPR for Uplift ment and Beautification of Roads, Junctions , design of looping route and heritage Conservation along with Facades of Buildings of Heritage Corridor in Jodhpur City

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	Architectural and Engineering Consultancy & preparation of DPR for Uplift ment and Beautification of Roads, Junctions , design of looping route and heritage Conservation along with Facades of Buildings of Heritage Corridor in Jodhpur City कार्य की दरे स्वीकृति की गई थी तथा कार्यादेश जारी किया गया है।, जिसका अनुमोदन कार्यकारी समिति से अपेक्षित है।

Architectural and Engineering Consultancy & preparation of DPR for Uplift ment and Beautification of Roads, Junctions , design of looping route and heritage Conservation along with Facades of Buildings of Heritage Corridor in Jodhpur City का कार्यादेश एवं स्वीकृत दरे *Item 01) 13000000/- JOB (Including GST+5 Site Visit free and Item 02) 25000/- Per visit (maximum 24 site visit Rs. 6.00 Lace including GST)* कार्यकारी समिति में अनुमोदन हेतु प्रकरण प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 28 :: Interior works at Barkattullah Khan Stadium, Jodhpur including planning designing of complete area as per BCCI/International Standard

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	*Interior works at Barkattullah Khan Stadium, Jodhpur including planning designing of complete area as per BCCI/International Standard* कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति एवं जारी की गई, जिसका अनुमोदन कार्यकारी समिति से अपेक्षित है।

Interior works at Barkattullah Khan Stadium, Jodhpur including planning designing of complete area as per BCCI/International Standard का कार्य कार्यकारी समिति *(E.C. Meeting)* की प्रत्याशा में राशि रू. 210.00 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति एवं कार्य के लिये प्रस्तुत दरे जो उपापन समिति द्वारा अभिशंषा की गई दरे जोन निम्नानुसार है :-

S.No.	Item	Qty.	Unit	Rate In to be quoated by the contract or	Amount all inclusive
1	Design & drawing complete as per scope of work given in tender document and as specified below- 1. Preparation of plan for interior work in players area (including players dressing room, players dining area, Physio room, Gym, health club & facility area) Plan includes sitting arrangement ,furniture requirement ,equipment placement pattern of false ceiling , lightning arrangement, flooring pattern , tile pattern , color combination & any other requirement as per BCCI /International norms. 2.Preparation of plan for interior work in Match official room (including long room,Umpires dinning & discussion area, health club, Gym room, corridor toilet area, VIP boxes interior, VIP buffet space, rooms, 3rd umpire room) Plan includes sitting arrangement ,furniture requirement ,equipment placement pattern of false ceiling , lightning arrangement, flooring pattern , tile pattern , color combination & any other requirement as per BCCI /International norms. 3.Preparation of plan for interior work at North block Media Box (including media center, broadcaster room, commentary box (Hindi & english), commentary studio, media catering area, category of BCR crew, officials and spectators etc. corridor area plan includes sitting arrangement Furniture requirement ,equipment placement pattern of false ceiling , lightning arrangement, flooring pattern , tile pattern , color combination & any other requirement as per BCCI /International norms. 4.Preparation of plan for interior work in West Block VIP Boxes . Plan includes sitting arrangement, furniture requirement, equipment placement pattern of false ceiling, lightning arrangement, flooring pattern, tile pattern , color combination & any other requirement as per BCCI /International norms.	1.00	JOB	2000000	2000000
	5. Preparation of plan for interior work in Old Pavilion (VIP Boxes).6.Designing & placement of the replay screen including detail of structure for erection of screen their accessories7.Other landscaping work at the periphery of the ground.8.All other necessary work to make the ground ready for International/IPL matches will be in the scope of the consultant (like grounds equipment etc.) 9.Elevation (Façade) work of both south & North Pavilion (inside & outside of the ground) on Jodhpur pattern. Elevation design should be done in such a way that there is no need to alter the existing /ongoing civil work of both pavilion. NOTE- (every scope have 10% payment excluding point no 9 facade work which have 20%. payment will be released based on weitage given to each scope. 50 % payment of each scope will be done on appraval of drawing & remaining 50 % after execution of work)				
2	Gym Equipment for Players				

i)	Supply & fixing of curve treadmill of fitline or equivalent brand having running area 1600mmx480mm with led screen size 40mmx125mm net weight 180 kg , builtup measurement 1150mmx535mmx1500mm including tracked rubber belt. (inclusive all taxes, GST & Transportation).	2.00	Nos.	341000.00	682000.00
ii)	Supply & fixing of cross trainer of fitline or equivalent brand having lcd display resistance range 1-32 level heart range 50-256 placement rack , video play , phone holder, music play etc. net weight 137 kg builtup measurement 2095mmx78mmx 1685mm (inclusive all taxes, GST & Transportation).	2.00	Nos.	221000	442000.00
iii)	Supply & fixing of spin bike fitline or equivalent brand having Net Weight : 80kg,Dimensions(MM) 1225*630*1170 Press Type Breaking systems, simpler use and safe in exercise Max User weight : 120kg Pedal straps for better grips , Seat adjustment : front /Back and up/down (inclusive all taxes, GST & Transportation).	2.00	Nos.	85000	170000.00
iv)	Supply & fixing of lat pull down fitline or equivalent brand Net Weight : 199KG Dimensions (mm) :1390*1370*2210 (inclusive all taxes, GST & Transportation).	2.00	Nos.	174000	348000.00
v)	Supply & fixing of pecfly/rear delt of fitline or equivalent brand having Net Weight : 207KG Dimensions (mm) :1585*1230*1995 (inclusive all taxes, GST & Transportation).	2.00	Nos.	184000	368000.00
vi)	Supply & fixing of Adjustable BENCH of fitline or equivalent brand having Net Weight : 207KG Dimensions (mm) :1585*1230*1995 (inclusive all taxes, GST & Transportation).	2.00	Nos.	56000	112000.00
vii)	Supply & fixing of flat BENCH of fitline or equivalent brand having Max user weight.: 180kg Net Weight : 20kg Built up Meas (mm) :1300*700*460 (inclusive all taxes, GST & Transportation).	2.00	Nos.	20200	40400.00
viii)	Supply & fixing of 3 IN 1 OLYMPIC BENCH of fitline or equivalent brand having Net weight.: 65kg Built up meas (mm).: 1830*1240*1370 (inclusive all taxes, GST & Transportation).	2.00	Nos.	74000	148000.00
ix)	Supply & fixing of DUMBBELL RACK of fitline or equivalent brand having Net Weight : 72kgBuilt up Meas (mm) :2290*800*840 (inclusive all taxes, GST & Transportation).	2.00	Nos.	55000	110000.00
x)	Supply & fixing of DUMBBELL of fitline or equivalent brand (inclusive all taxes, GST & Transportation).	300.00	Kg.	170	51000.00
xi)	Supply & fixing of Weight PlatesL of fitline or equivalent brand (inclusive all taxes, GST & Transportation).	600.00	Kg.	190	114000.00
xii)	Supply & fixing of Olympic Barbells of fitline or equivalent brand (inclusive all taxes, GST & Transportation).	12.00	Nos.	9500	114000.00
xiii)	supply of Gym Ball (swiss ball) for Exercise & Yoga with Pump, Anti Burst Swiss Birthing Ball for Workout & Fitness. Stability Ball for Men & Women. Exercise Ball Usable in Home & Gym (inclusive all taxes, GST & Transportation).	4.00	Nos.	1150	4600.00
3	Sauna bath & medical bed ,massage table				
i)	Supply & fixing of Acrylic Vintage Multisystem with Sauna and Steam Bath MADONNA or equivalent Length: (6 x 4 feet), height: 7 ft, warranty - 5 year Steam bath system Sauna bath system sauna bath,steam bath, intelligent pannel, water faucet inlet, multifunctunal sprinkler, paddle discharge controller, hydro dynamic adjust, acupuncture foot massager, computerized radio tuner, telphone answer, back side light, temperature display/adjust, overhead sprinkler , sprinkler shift, overhead light, exhaust fan, controll pannel, cosmatic mirror. (inclusive all taxes, GST & Transportation).	2.00	Nos.	450000	900000.00

ii)	Supply & fixing of Full Fowler Hospital Bed with Mattress & Railing of ACME or equivalent brand having material Steel ,foam ,ABS with size 2000*900*500mm. bedstead is made of carbon steel metal baking varnish baking varnish method used to antirust,advanced antibiosis powder coated. Detachable bedside and tailstock. With lock catach type system,it is easy to detach for rescue,special nursing,move the patients safty. Aluminum alloy folding handrail.Bed panel is made of onestep molding cold rolled steel, with excellent performance in anti-slipping and air permeability. (inclusive all taxes, GST & Transportation).	1.00	Nos.	36260.00	36260.00
iii)	Intimate bath tub (6'x3') freestanding with fullround panel, SS stand and drain set-popup waste with flexible pipe headrest -2 Jacuzzi massage system (1.5HP) Jacuzzi motor (1.5 HP)TUV certified (german certification) 6 nozzle with centrifugal massage jets (that is rotatory mixture of water & air) pneumatic on off switch & pressure control on bath tub, Back massager (spinal bath) motor powered by jacuzzi motor , 8 nozzleswith water pressure massage. (inclusive all taxes, GST & Transportation).	2.00	Nos.	195000	390000.00
iv)	Supply & Providing of Massage Table for Players Physio Room as per below specificaions. Canadian Hemlock Wood/ Waterproof and anti-termite wood Capacity of table - 227 KG Brand - Lispa Impex or equivalent Model - 2 Secition Wooden Foldable by Lipsa Impex Imported (inclusive all taxes, GST & Transportation).	4.00	Nos.	17805	71220.00
4	Carpet & matting				
i)	Supply & fixing of grass mat of 35 mm thick Avana Green or equivalent Artificial Grass - High Density Grass 4 Feet - Use As Balcony Garden, Carpet having Grass Backing is Woven Polypropylene with Fibrelocked Fleece and Latex Compound. No Smell. Durable And Long Lasting. UV Resistant - Can Sustain Heat And Heavy Usage. Environment Friendly. Made withPolyethylene and Polypropylene Blend, with Straight and Curly Monofilament Yam. (inclusive all taxes, GST & Transportation)	215.00	Sqm.	1663.00	357545.00
ii)	Supply & fixing of Carpet Tile flooring 6mm thick Divin by F&F or equivelent [Material] :- Yam type - 100% Polypropylene Level loop Plain, Backing Type - Bitumen [Compatibility] Grazia Carpet Tile Compatible for :- Office, Meeting Room, Hall or Lounge, etc.[Special Features] :- 1). Ultraviolet Resistance, 2). Dimensional Stability, 3). Antistatic, 4). Reduced Flammability, 5). Anti-Slip, 6). Comfortable, 7). Passed Various Tests [Size] :- 50*50 Centimetre.Brand Divine or equivalent (inclusive all taxes, GST & Transportation)	100.00	Sqm.	1754.00	175400.00
iii)	Supply & fixing of Carpet Solid Runner Nylon Avana Green Made of felted fiber, Non Woven Carpet 3 to 5 mm thick it can be used indoors or outdoors ,Machine Wash etc brand obeetee or equivalent. (inclusive all taxes, GST & Transportation)	858.00	Sqm.	370	317460.00
iv)	Supply & fixing of Interlocking SBR rubber flooring premium quality , Non-Toxic Mat Floor Tiles size 20"x 20 " inches.15 mm thick. (inclusive all taxes, GST & Transportation).	240.00	Sqm.	1470.00	352800.00
5	Ground Equipments				
i)	Ae Dugouts - Six Seater Dugout with special poly sheets, special turf wheels, easy to move (inclusive all taxes, GST & Transportation).	2.00	Nos.	144300	288600.00
ii)	Supply of Ae Boundary Rope (32mm) - one bundle = 220 mtr. Required for one ground 2 Bundles. Price mentioned for 2 bundles (inclusive all taxes, GST & Transportation).	1.00	Nos.	141000	141000.00

iii)	Supply of Ae Pitch Cover (630 GSM) - For 5 Pitches . High quality special pitch cover, dust proof, water proof, fire proof. One Pc of Size 70X120=4800 Sq ft adequate for 3 centre wickets (inclusive all taxes, GST & Transportation).	1250.00	Sqm.	545	681250.00
iv)	Ae Sight Screen GI Movable -Product Code SS-GI - One Screen Size 20X20ft. 3 Movable Sight Screens will be on one side. So Total 6 Sight Screen Made up of GI Sheets. Black and White Color, Special Turf Wheels. (inclusive all taxes, GST & Transportation).	6.00	Nos.	350000	2100000.00
v)	Supply of Ae Special Cricket Fixed MS Net Cage of Size 80'x60'x13'(H) for 5 Wickets- NC-F-MS Ae High Quality 2.5mm thick, 50mm Mesh Nets, Special MS Brackets, Round pipes, Green Automotive paint. Installation using Sleeves . Includes Pole Padding (inclusive all taxes, GST & Transportation).	1.00	Nos.	688250	688250.00
6	Furnitures				
i)	Supply & fixing of Jodhpuri comfert sofa/recliner chair made of Acacia wood with upholestry of fabric (approved brand) as shown in image having dimension 40x22x40inches with seat height 14 inch approx weight 12 kg as per direction of approval committee. (inclusive all taxes, GST & Transportation).	10.00	Nos	14485	144850.00
ii)	Supply & fixing of Jodhpuri chair made of sheesham wood with upholestry of fabric (approved brand) as shown in image having dimension H 29 x W 24 x D 20 Seating Height - 18 inches as per direction of approval committee. (inclusive all taxes, GST & Transportation).	112.00	Nos	8300	929600.00
iii)	Supply & fixing of single seater sofa made of Acacia wood with upholestry of fabric (approved brand) as shown in image having dimension H 36 x W 33 x D 40 Seating Height - 18 inches as per direction of approval committee. (inclusive all taxes, GST & Transportation).	24.00	Nos	17000	408000.00
iv)	Supply & fixing of two seater sofa made of Acacia wood with upholestry of fabric (approved brand) as shown in image having dimension H 35.5 x W 56 x D 34 Seating Height - 18 inches as per direction of approval committee. (inclusive all taxes, GST & Transportation).	21.00	Nos	31000	651000.00
v)	Supply & fixing of dining chair of sheesham wood with upholestry of fabric (approved brand) as shown in image having dimension H 29 x W 24 x D 20 Seating Height - 18 inches as per direction of approval committee. (inclusive all taxes, GST & Transportation).	48.00	Nos	9400	451200.00
vi)	Supply & fixing of large dining table 8 seater made of sheesham wood having dimension H 29.9 x W 95.7 x D 42.1 as shown in image complete in all respect as per direction of approval committee. (inclusive all taxes, GST & Transportation).	6.00	Nos	32500	195000.00
vii)	Supply & fixing of Coffee table made of sheesham wood having dimension H 16 x W 40 x D 20 apprx weight 20 kg as shown in image complete in all respect as per direction of approval committee. (inclusive all taxes, GST & Transportation).	30.00	Nos	22000	660000.00
viii)	Supply & fixing of side table made of sheesham wood having dimension H 16 x W 16 x D 14 apprx weight 11 kg as shown in image complete in all respect as per direction of approval committee. (inclusive all taxes, GST & Transportation).	53.00	Nos	7500	397500.00
ix)	Supply & fixing of jodhpuri pattern designer mashroom stool having sizes 45x45x54 cm fabric cotton bandhej,metal finish as shown in image complete in all respect as per direction of approval committee. (inclusive all taxes, GST & Transportation).	15.00	Nos	8500	127500.00

x)	*Supply & fixing of jodhpuri pattern stool having sizes 45x45x54 cm fabric cotton made of sheesham wood as shown in image complete in all respect as per direction of approval committee. (inclusive all taxes, GST & Transportation).*	15.00	Nos	6200	93000.00
xi)	*Supply & fixing of Benches made of sheesham wood dimension H 18 x W 57 x D 16 complete in all respect as shown in image as per direction of approval committee. (inclusive all taxes, GST & Transportation).*	6.00	Nos.	9800	58800.00
xii)	*Supply & Fixing of office chair with Center tilt mechanism with single position locking arrangementPP fixed arm rest Load tested Nylon base Class-3 gas lift for seat height adjustment and nylon castors for smooth movement of chair Upholstery option available in Seat 40 dc mould cushion in seat, waterfall design seat for better thigh support Mesh Back. Weight 9.5 Height 92/102 Back Height 47 Width 66 Length 66. brand HOF or equivalent. (inclusive all taxes, GST & Transportation).*	50.00	Nos	7300	365000.00
xiii)	*Supply & Fixing of table made with Engineered Wood Study Table, Laptop, Computer Table Desk having measurment Length (105Cm / 41.3 Inches) Breadth (45Cm / 17.7 Inches) Height(72Cm / 28.3 Inches). Made of Particle Board (High grade prelam engineering wood with natural wood grain finish.) Product Weight: 13 Kgs. (inclusive all taxes, GST & Transportation).*	40.00	Nos	6900.00	276000.00
xiv)	*Supply & Fixing of Team Locker for Players Dressing Room as per below specification. Size - 3.5x2x7.5 Feet 16MM PlyWood GreenPly Comercial or Equivalent Wooden Finish Laminated Greenply or Equivalent Godrej Lock And KeyChain For Holding above Panel 2 nos Magnet for Self closing2 Nos Godrej Handel Jindal/Mayur Leatherite 0.5 Meter in the range of 400 INR Pasting Libra 6MM Foam 0.5 Meter As per Design.(inclusive all taxes, GST & Transportation).*	36.00	Nos	35000	1260000.00
xv)	*Supply & fixing of single seater recliner of godrej or eqivalent brand having minimum weight 52 kg size-106.9 x 102.9 x 101.1 cm Seat Height (cm) 51.1 Upholstery Material Fab Leather Upholstery,Soft Foam Filling,Three-Level Reclining Mechanisms, Magazine/Newspaper Holder (inclusive all taxes, GST & Transportation).*	28.00	Nos.	45500	1274000.00
xvi)	*Provinding and supplying of Reception Desk with following specification. Desk With Drawer & Shelf Included Necessary Hardware's Likes Locks, ss Handels Etc. Necessary Grooves And Designs To Be Provided As Per Details. Size - Desk = 8'x2.5'x2.5' 16MM PlyWood GreenPly Comercial or equivalent Wooden Finish Laminatee Greenlam or equivalent Hardware Channel, Locks, Hinge, Support Godrej or equalent As per design. (inclusive all taxes, GST & Transportation).*	2.00	Nos.	16500	33000.00
xvii)	*Supply & Installation of VIP tip up Stadium Chairs having Plastic Injection Moulded seats of smooth matte finish, and moulded from virgin UV resistant polypropylene (co-polymer) of 5mm thickness with common arms having cup holers, Floor Mounted on black powder coated MS structure with high strength anchor fastners, nuts, bolts and all necessary hardware & sheet number (inclusive all taxes, GST & Transportation)*	200.00	Nos.	4900	980000.00

xviii)	Supply & Fixing of auditorium Pushback with Auto-Tip-upFire Proof Moulded Density:45+/2kg Upholstery Material 3 mm, Rich Laminated Fabric ,Aisle Panel: Fully Upholstered Intermediate Panel: Fully UpholsteredAll Exposed Sheet metal parts are Powder coated Arm Rest: Premium Plastic Curve with cup holderBody Material: Metal Material L*W*H= 700*559ctc*1050 mm Appearance: Comfortable & Cozy Cushion Design SEP or equivalent brand(inclusive all taxes, GST & Transportation).	200.00	Nos	7200.00	1440000.00
7	Décor & signages				
i)	Supply & Fixing of Photo Frame with Picture around the stadium at multiple locations with following specifications. 3MM MDF 1sq. ft. 3MM Glass Saint Gobin or Equivalent Molding 4ft Digital Print 300GSM with Picture by clicked by professnal sports photographer As per Design.(inclusive all taxes, GST & Transportation).	15.00	Sqm	4300	64500.00
ii)	Supply & fixing signages				
a)	wooden signage made of pine wood with engrave letter by laser (minimum 15) as required on site complete in all respect as per direction of approval committee. (inclusive all taxes, GST & Transportation).	8.00	Sqm	18500	148000.00
b)	Supply & Fixing of Inner Signages Diged Iron Frame ACP Sheet on top with Retro Vinyl 4 MM ACP Sheet Alutech or equivalent 3M Retro Vinyl or equivalent 1.6inch x 1.6inch x 1 Feet For Hole Pass MS Angle 14 Gauge Berger Paint Enamel or equivalent As per design. (inclusive all taxes, GST & Transportation).	12.00	Sqm	7300	87600.00
c)	Provision for supply & fixing of all interior work in hall of fame complete in all respect & as per approval of committee. BOQ rate of particular item will be finalized after approval of design. (inclusive all taxes, GST & Transportation).	1.00	Nos.	750000	750000.00
	Total				21998335.00

संशोधित प्रशासनिक एवं वितीय राशि रू. 210.00 लाख, समस्त आईटम की दरो एवं कार्यादेश राशि रू. 21998335.00 को अनुमोदित करने के लिये प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 29 :: कम्प्युटर व प्रिंटर क्रय करने का कार्य।

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार प्रस्तुत है	कम्प्युटर व प्रिंटर क्रय करने का कार्य की स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

कम्प्युटर व प्रिंटर क्रय करने का कार्य हेतु राजस्थान सरकार वित्त विभाग (आय व्यय अनुमान) के परिपत्र कंमाक प.9(1)वित्त–1(1)आ.व्य./2020 दिनांक 03.सितम्बर.2020 के बिन्दु संख्या 08 "अति आवश्यक प्रकरणों के पूर्ण औचित्य के तहत प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 को सफल बनाने हेतु

आयोजना शाखा के लिए कम्प्युटर व प्रिंटर क्रय किया जाना अति आवश्यक था इसलिये कम्प्युटर क्रय किये गये थे। अतः किये गये कार्य का अनुमोदन हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति में प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 30 :: ग्राम सालावास के खसरा संख्या 104 रकबा 15.04 बीघा भूमि प्राधिकरण के स्वामित्व की है, जो खुर्द बुर्द हो गई है, के निस्तारण के संबंध में।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम सालावास के खसरा संख्या 104 रकबा 15.04 बीघा भूमि प्राधिकरण के स्वामित्व की है, जो खुर्द बुर्द हो गई है, के निस्तारण की अभिशंषा की गई है।

ग्राम सालावास के खसरा संख्या 104 राजस्व रेकर्ड मिशल बन्दोबस्त में 100.17 बीघा राजकीय भूमि दर्ज थी। जिसमे समय–समय पर आवंटन के पश्चात् वर्तमान में कुल 66 भूखण्डो के रूप में विभक्त होकर राजस्व रेकर्ड मे बतौर खातेदार दर्ज हो चुकी है एवं मौके पर काबिज है।

उक्त खसरे मे जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की 15.04 बीघा भूमि दर्ज है लेकिन मौके पर एवं जगह पर उपलब्ध नही होने से स्थिति स्पष्ट नहीं है। मौके पर प्राधिकरण की भूमि रास्तों में खुर्द बुर्द कर दी गई है।

उक्त खसरे के खातेदारों द्वारा औद्योगिक प्रयोजनार्थ 90–ए की आवेदन पत्रावलियां लगाई जा रही है। जिसमें प्राधिकरण की भूमि के संबंध में निर्णय लिया जाना है।

अतः प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि के संबंध में निर्णय लिये जाने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष अवलोकनार्थ एवं उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित भूमि में खातेदारों को आवंटित भूमि का विवरण, मौके पर कितनी भूमि खाली है, खातेदारों को आवंटित भूमियों में से रास्ते की भूमि हेतु कितनी भूमि काटी गई है, आदि तथ्यों का समावेश करते हुए उपरोक्त प्रस्ताव का विस्तृत परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 31 :: राजस्व ग्राम मोगड़ा खुर्द के खसरा संख्या 142 रकबा 370.06 बीघा, किस्म गै.मु. गोचर में से 493043.8 वर्गमीटर भूमि पर ट्रासंपोर्ट एवं ऑटोमोबाईल मार्केट नगर योजना के आरक्षित/आवंटन दर में रियायत/छूट प्रदत्त करने के संबंध में।

माननीय उच्च न्यायालय एवं मॉनिटरिंग कमेटी के निर्देशों की अनुपालना में राजस्व ग्राम मोगड़ाखुर्द के खसरा संख्या 142 व 295 में ट्रांसपोर्ट एवं ऑटोमोबाईल मार्केट नगर योजना प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23.04.2012 के प्रस्ताव संख्या 3(4) के तहत विकसित किये जाने की योजना को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई तथा प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 02.05.2013 के प्रस्ताव संख्या 20 में अनुमोदित की गई एवं प्रकरण में भू–उपयोग परिवर्तन की अनुमति माननीय

उच्च न्यायालय से प्राप्त कर राज्य स्तरीय समिति की 116 वीं बैठक दिनांक 06.04.2011 के अतिरिक्त एजेण्डा संख्या 03/जेडीजेड/जोधपुर के तहत प्राप्त की गई थी। जिसके क्रम में ऑटोमोबाईल एवं ट्रांसपोर्ट योजना हेतु The Rajasthan improvement Turst (Disposal of Urban Land Rules) 1974 की धारा 18–बी के तहत स्वीकृति प्रदान करने हेतु श्रीमान संयुक्त शासन सचिव–तृतीय नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग राजस्थान सरकार को प्रकरण भेजा गया। जिसके क्रम में संयुक्त शासन सचिव–तृतीय नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.1(1) नविवि/जोधपुर/2014 दिनांक 04.06.2014 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णयानुसार राजस्व ग्राम मोगडाखुर्द के खसरा संख्या 142 व 295 के रकबा 601.12 में से 336 बीघा भूमि पर ट्रांसपोर्ट एवं ऑटोमोबाईल मार्केट नगर योजना बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30, 31 जुलाई 2014 के प्रस्ताव संख्या 2(7) में बासनी ट्रासंपोर्ट नगर योजना का संयुक्त सर्वे तहसीलदार, पटवारी, कनिष्ठ अभियंता द्वारा करवाया जाने के साथ ही उक्त योजना में 75 प्रतिशत भूखण्ड लॉटरी द्वारा तथा 25 प्रतिशत कॉर्नर भूखण्डों का आवंटन नीलामी द्वारा करने का निर्णय लिया गया। प्राधिकरण की इसी कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30, 31 जुलाई 2014 के प्रस्ताव संख्या 3(7) में उक्त योजना की आरक्षित दर (व्यवसायिक) रू. 13,080/– प्रतिवर्गमीटर निर्धारित की गई थी। प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 03 सितम्बर 2019 के प्रस्ताव संख्या 11 में उक्त योजना की आरक्षित दर रू. 12550/– प्रतिवर्गमीटर निर्धारित की गई थी। उक्त इसी दर रू. 12550/– प्रतिवर्गमीटर का नवीन परिस्थितियों में परीक्षण कर पुनः अनुमोदन प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 07.04.2021 के प्रस्ताव संख्या 25 में किया गया है।

उक्त ट्रासंपोर्ट एवं ऑटोमोबाईल मार्केट नगर योजना का ले–आउट प्लान अनुमोदन सर्वप्रथम दिनांक 21.07.2014 के प्रस्ताव संख्या 1 द्वारा किया गया था तत्पश्चात विभिन्न समय पर नवीन परिस्थितियों/योजना के नवीनतम रूप हेतु ले–आउट प्लान अनुमोदित किये गये। योजना का अंतिम रूप से नवीनतम ले–आउट प्लान प्राधिकरण की ले–आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 01.06.2021 के एजेण्डा संख्या 02 में उक्त योजना का संशोधित योजना मानचित्र अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया। निदेशक आयोजना एवं निदेशक अभियांत्रिकी की राय के अनुसार उक्त योजना का समस्त क्षेत्रफल 500000 वर्गमीटर से कम होने के कारण पर्यावरण अनापत्ति की आवश्यकता नहीं है।

The Rajasthan Improvement Turst (Disposal of Urban Land Rules) 1974 के नियम 15 के अनुसार व्यावसायिक प्रकृति की भूमि का निस्तारण सार्वजनिक नीलामी द्वारा किये जाने का प्रावधान है। उक्त योनजा की विवरणिका प्राधिकरण के समस्त निदेशकों से परीक्षण पश्चात उक्त योजना की विवरणिका तैयार की गई। जिसमें योजना के भूखण्डों का निस्तारण (ऑनलाईन नीलामी) की पद्धति, शर्ते, पात्रता, प्रक्रिया, प्रारूप, विभिन्न दिनांकों, आरक्षण तथा विभिन्न नियमों/शर्तो का उल्लेख किया जाकर योजना की विवरणिका का अनुमोदन प्राधिकरण के श्रीमान् अध्यक्ष महोदय एवं श्रीमान आयुक्त महोदय द्वारा प्राधिकरण की आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में किया गया। माननीय मंत्री महोदय नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के दिनांक 24 व 25 जुलाई 2021 को जोधपुर प्रवास के दौरान आयोजित समीक्षा बैठक में योजना के भूखण्डो का आवंटन लॉटरी पद्वति से किये जाने के निर्देश प्रदत्त किये गये है। हाल ही में संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.2(8) नविवि/कोटा/2019 जयपुर दिनांक 20.04.2021 के द्वारा नगर सुधार न्यास कोटा में ट्रासंपोर्ट कम्पनीज एसोसियेशन को लॉटरी द्वारा भूखण्ड आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

प्रकरण में जोधपुर शहर की विभिन्न ट्रासंपोर्ट एवं ऑटोमोबाईल एसोसियेशनों के द्वारा समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय/नगरीय विकास मंत्री, नगरीय विकास विभाग जयपुर एवं अन्य सक्षम स्तरों पर अभ्यावेदन/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कोटा में विकसित किये जाने वाले ट्रांसपोर्ट एवं ऑटोमोबाईल नगर की आवंटन दर 6800/– रू प्रतिवर्गमीटर एवं जोधपुर में विकसित की जाने वाली ट्रासंपोर्ट नगर के समीप रिको द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र में 4900/– रू प्रतिवर्गमीटर दर निर्धारण का उदाहरण प्रस्तुत करते हुये ट्रांसपोर्ट नगर योजना में निर्धारित की गई आरक्षित दर को कम की

जाकर 7000/– रू प्रतिवर्गमीटर निर्धारित करने तथा योजना में अवस्थित भूखण्डों का संबंधित एसोसियेशन में पंजीकृत एवं प्रतिवर्ष वित्तीय अंकेक्षित फर्म/व्यवसायी को ही नीलामी की बजाय लॉटरी पद्वति से किये जाने का निवेदन किया। इसी क्रम में संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय नगरीय विकास विभाग को ज्ञापन के क्रम में जरिये पत्रांक एफ–46/आवंटन–पूर्व/2021/207–208 दिनांक 31.08.2021 को प्रकरण सक्षम स्तर पर निर्णय हेतु प्रेषित किया गया जिसके संबंध में संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय नगरीय विकास विभाग जयपुर के पत्रांक प.1(63) नविवि/जोधपुर/2021 दिनांक 04.10.2021 द्वारा उक्त योजना की विभिन्न ट्रांसपोर्ट एवं ऑटोमोबाईल एसोसियेशनों के साथ बैठक आयोजित कर निश्चित आवंटन/आरक्षित दर का निर्धारण करने हेतु निर्देशित किया। जिसके क्रम में दिनांक 26.11.2021 को जोधपुर शहर के विभिन्न ट्रासंपोर्ट एवं ऑटोमोबाईल एसोसियेशनों के प्रतिनिधिगण के साथ बैठक आयोजित कर ट्रांसपोर्ट एवं ऑटोमोबाईल मार्केट नगर की पूर्व में निर्धारित आरक्षित दर 12550/– रू. प्रतिवर्गमीटर में 30 प्रतिशत की रियायत दिये जाने एवं योजना में अवस्थित भूखण्डों का संबंधित एसोसियेशन में पंजीकृत एवं प्रतिवर्ष वित्तीय अंकेक्षित फर्म/व्यवसायी को ही आवंटित किये जाने के संबंध में प्रकरण प्राधिकरण की आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में राज्य सरकार के सक्षम स्तर से समुचित निर्णय हेतु प्राधिकरण के पत्रांक एफ–46/आवंटन–पूर्व/2021/247 दिनांक 14.12.2021 को प्रेषित किया गया है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की अनुमोदन की प्रत्याशा में की गई कार्यवाही के संबंध में कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमादेन/पुष्टि हेतु उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित अनुसार उक्त योजना की पूर्व में निर्धारित आरक्षित दर 12550/– रूपये प्रति वर्ग मीटर में 30 प्रतिशत की रियायत/छूट प्रदत्त करने, नीलामी के स्थान पर लॉटरी द्वारा भूखण्डों का आवंटन करने तथा योजना में अवस्थित भूखण्डों का संबंधित एसोसिएशन में पंजीकृत फर्म/व्यवसायी को ही आवंटित किये जाने की कार्यकारी समिति की अभिशंषा की प्रत्याक्षा में राज्य सरकार को सक्षम स्वीकृति हेतु भेजे गये प्रकरण का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह कार्यवाही विवरण संबंधित पत्रावली (पत्रावली संख्या बैठक शाखा/ 2020/ भाग–12/ (जे0डी0ए0/एफ0टी0एस0/94294) कार्यकारी समिति बैठक निर्धारण पत्रावली) के पैरा संख्या 57..../एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है। उपरोक्त जारी किये जाने वाले कार्यवाही विवरण के संबंध में किसी भी सदस्य को यदि कोई आपत्ति हो तो वह कार्यवाही विवरण जारी होने के 7 दिवस में इस कार्यालय को अवगत करावें अन्यथा स्थिति में कार्यकारी समिति के निर्णय प्रभावी माने जावेंगे।

15/12/21

(हरभान मीना)
सचिव

कमांक/बैठक/2021/890–907 दिनांक :15 दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
04. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
05- उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रियल एस्टेट डवलपमेंट काउन्सिल, (RAJREDCO) 307, पिंक टावर, नेहरू गार्डन के सामने, टोंक रोड, जयपुर

06. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/ पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
07. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम (उतर/दक्षिण) जोधपुर
08. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
09. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
10. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड/क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर/बोरानाड़ा
11. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर/ प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
12. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
13. निदेशक– अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. उपायुक्त–पूर्व/ पश्चिम/ उत्तर/ दक्षिण/ मुख्यालय/ उपसचिव/ भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. अधीक्षण अभियन्ता–I/II, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
18. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19. ....

(हरभान मीना)
सचिव

श्री कमर चौधरी, आई.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 को सांय 4.00 बजे आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

- श्री सत्यवीर यादव, अतिरिक्त कलक्टर–शहर द्वितीय, जोधपुर
- श्री रोहित कुमार, उपायुक्त, नगर निगम, जोधपुर –उत्तर
- श्री मोकेश भाटी, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
- श्री एम.एस. चारण, जोनल चीफ इंजिनियर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
- श्री कैलाश दान जुगतावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण
- श्री इन्द्रजीत सिंह राठौड, उप नगर नियोजक, नगर निगम, जोधपुर –दक्षिण
- श्री श्रवण दाधिच, प्रबन्धक (एम.टी.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
- श्री गोविन्द व्यास, निरीक्षक पुलिस, यातयात शाखा, जोधपुर
- श्री लाडुराम विश्नोई, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- श्री मंगलाराम विश्नोई, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- श्री जगदीश कुमार, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- श्री राजेश वर्मा, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- श्रीमती चंचल वर्मा, उपायुक्त–उत्तर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- श्री अनिल कुमार पूनिया, उपायुक्त–पूर्व, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- श्री नीरज मिश्रा, उपायुक्त,–पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- श्री राजेन्द्र सिंह, उपायुक्त–दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- श्री श्रवण सिंह, उपायुक्त–मुख्यालय,
- श्री हरभान मीना, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

000
0